न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-5/2014

1- सुन्दरी बेवा श्योपालदास
2- भींवाराम पुत्र श्योपालदास
3- रामजीलाल पुत्र श्योपालदास
4- सीताराम पुत्र श्योपालदास

जाति स्वामी निवासीगण काली खेड़ा तन गढ टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- सोहनकंवर बेवा उगमसिंह
2- मुलसिं पुत्र जयसिंह
3- विजयसिंह पुत्र जयसिंह
4- जीतूसिंह पुत्र जयसिंह
5- भंवरकंवर पुत्री जयसिंह
6- सुमनकंवर पुत्री जयसिंह
7- श्रीभागकंवर पत्नी जयसिंह
8-गोविन्दसिंह पुत्र उगमसिंह
9- गिरधारीसिंह पुत्र उगमसिंह
10-हनुमानसिंह पुत्र उगमसिंह
11-राजबाला पत्नी उगमसिंह
12-कुलदीपसिंह पुत्र गुमानसिंह नाबालिग जरिये जरिये प्राकृतिक संरक्षिक माता राजबाला
13-रवीनाकंवर पुत्री गुमानसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

14-तहसीलदार श्रीमाधोपुर लैण्ड होल्डर जिला सीकर ।

15-राधेश्याम पुत्र ईश्वरदास जाति स्वामी निवासी काली खेड़ा तन गढ टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

--रेस्पोडेन्टस्---

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 6-11-2012 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ।
---0---

उपस्थिति-

1-श्री रामेश्वरलाल बिजारणीयां एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री अमीलाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 19.4.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या--1 से 13 ने अदालत मातहत में दावा इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0पुराने 1141 जिसके नविन खसरा नम्बर 1752 रकबा 0.80 हैक्टर, ख0नं0 1753 रकबा 0.86 हैक्टर, ख0नं0 1754 रकबा 0.36 हैक्टर एवं ख0नं0 1753/1878 रकबा 0.96 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 2.98 हैक्टर तन ग्राम सुराणी का राजस्व रेकार्ड प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है किन्तु इस आराजी पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है ।इस आराजी पर वादीगण का बुर्जगान के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है ।वादी सं0-2 से 6 नौकरी पेशा व्यक्ति है जो गांव में रहकर इस आराजी की काश्त नहीं कर पाते इस कारण प्रतिवादीगण एवं दीगर अन्य लोगों को समय समय पर बंटाई पर बता कर काश्त करवाते रहे है।वादी सं0-2 व 3 सेवानिवृत होकर आये तथा उक्त आराजी को बंटाई पर न देकर खुद काश्त करने लग गये ।प्रतिवादीगण ने वादीगण के सरकारी नौकरी में होने व वादी संख्या-1 वृद्ध महिला होने का फायदा उठाकर इस आराजी को अपने नाम दर्ज करवा ली जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं। इस आराजी पर वादीगण का ही बुजर्गान के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण का प्रतिकूल कब्जा काश्त होने से उक्त आराजी की खातेदारी अपने नाम कराने के अधिकारी है ।अतः वादीगण का दावा

स्वीकार कर उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन विश्लेषण किये बिना अपना आदेश पारित किया है ।अदालत मातहत ने अपने निर्णय में पर्चा चकबन्दी सैटलमेन्ट से वादीगण का कब्जा साबित होना मान्य किया है। जबकि पर्चा चकबन्दी सैटलमेन्ट सम्वत 2008 में जागीरदार उगमसिंह पुत्र लाल सिंह कौम राजपूत सा0 झाडली के नाम अंकित है ।तथा राजस्व इन्द्राज श्योपाल दास राधेश्याम पुत्र ईश्वरदास कौम स्वामी के नाम दर्ज है। जिसमें "भू-मापक की टिप्पणी है " सेवामें श्रीमान् ए0एस0ओ0 साहब निवेदन है कि खातेदार ने अपनी स्वेच्छा से बताया कि गत खसरा नं0- 1141 मीन पर श्योपालदास, राधेश्याम पुत्र ईश्वरदास कौम स्वामी का कब्जा काश्त गत 30 वर्ष पूर्व से चला आ रहा है। इस कारण इस खसरा नम्बर से मेरा नाम हटाकर श्योपालदास राधेश्याम कौम स्वामी का नाम दर्ज कर दिया जावे । मुझे कोई ऐतराज नहीं है।" जिसकी पुश्त पर उगमसिंह का अंगूठा निशानी है। इस प्रकार वादीगण वादीगण के पूर्वज उगमसिंह द्वारा सम्वत 2038 में ही 30 वर्ष पूर्व पुराना कब्जा अपीलान्ट के पति/पिता का तथा रेस्पोडेन्ट संख्या-15 का माना है । इसके बाद अदालत मातहत ने वादीगण का इस आराजी पर पुराना कब्जा कैसे माना कोई विवेचना नहीं की है । ना ही किसी अन्य दस्तावेज की कोई विवेचना की है । केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर पर वादीगण का दावा डिक्री किये जाने में कानूनी भूल की है । वादीगण ने अदालत मातहत में जो दस्तावेज पेश किये है उनमें अपीलान्ट के नाम खातेदारी दर्ज है ।अपीलान्ट उक्त आराजी पर मकान बनाकर आबाद है तथा विधुत चाह से अपनी आराजी की सिंचाई करते हैं । अदालत मातहत ने इन सभी तथ्यों को नजर अन्दाज कर अपना निर्णय

पारित किया है । जबकि वादीगण के पूर्वज उगमसिंह ने अपीलान्ट एवं रेस्पो0 सं0-15 का कब्जा माना है । रेस्पोडेन्टस्/वादीगण अपने पूर्वज द्वारा किये कथनों से विबंधित है । उसके विरूद्ध एक्ट ओपन करने की स्वीकृति वारिसान को नहीं दी जा सकती । अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । इन्ही भूमियों व इन्ही पक्षकारों के मध्य अन्य वाद भींवाराम बनाम जयसिंह वाद सं0- 526/2002 एवं गोविन्दसिंह बनाम सुन्दरी विचाराधीन रहे। उक्त तीनों की वादों की सुनवाई व तारीख पेशी एक साथ होती रही जिनमें तारीख पेशी 5-11-2012 नियत थी। इस दावे में अदालत मातहत ने दिनांक 5-11-2012 में काट छांट कर दिनांक 6-11-12 करके इसी दिनांक को निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । जबकि इस दिनांक को पत्रावली संशोधित वार्षिक पेश किये जाने के लिये नियत थी । तीनों दावे एक साथ होते हुये इस दावे को अन्य दो दावों से अलग कर विधि के विपरित निर्णित किया गया है । जबकि जो दो दावे और विचाराधीन थे वो भी इसी आराजी बाबत एवं इन्हीं पक्ष--कारों के मध्य थे । इस दावे को अलग कर निर्णय साजशी तौर पर किया गया है। साथ ही जयसिंह का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र दिनांक 20-6-2012 को पेश किया गया जिसकी नकल प्रतिवादीगण को नहीं दिलाई। जयसिंह की मृत्यु की दिनांक भी नहीं लिखी इसके विपरित अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र को मियाद के अन्दर मानकर आदेश किया जबकि वादीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रतिवादी सं0-1 के वारिसान को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई । उन्हे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया । अपीलान्ट को तो सुनवाई की तारीख पेशी ही बताई गई । अपीलान्ट संख्या-3 ने दिनांक 23-12-2013 को न्यायालय में आकर तारीख पेशी की जानकारी चाही तो आगामी पेशी दिनांक 17-1-2014 बतायी गई। किन्तु इस दिनांक को प्रस्तुत दावे की पत्रावली नहीं थी । तब काफी तलाश किया तो निर्णय के रजिस्टर मे तलाश करने पर बताया कि इस दावे का निर्णय 6-11-2012 को हो गया । यह जानकारी होने पर तुरन्त नकल का

प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल 30-12-2013 को प्राप्त हुई जिस पर नकल लेकर अपीलान्ट ने वादीगण को इस बाबत ओलमा दिया तो रेस्पोडेन्ट ने रेकार्ड दुरूस्त कराने की बात कहकर आश्वासन देते रहे तथा दिनांक 13-1-14 को स्पष्ट मना कर दिया। जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है ।अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत में अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया ।अदालत मातहत में प्रति-वादी सं0-1 अपीलान्ट के पिता/पति श्योपालदास के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। किन्तु कायम मुकाम को न तो कोई नोटिस जारी किया न ही किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिया गया है ।बल्कि दावें में कायम मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर पत्रावली संशोधित शीर्षक पेश करने के लिये ही चल रहा था । दावे में कोई संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया । इतना ही नहीं इसी आराजी बाबत अन्य दो मुकदमे और चल रहे थी। इन तीनों मुकदमों में एक साथ तारीख पेशीयां पडती रहीं और प्रतिवादीगण को एक साथ ही तारीख पेशी दी जाती रही किन्तु दिनांक दिनांक 5-11-2012 को प्रस्तुत दावें में तारीख पेशी में कांट छांट कर तारीख पेशी 5-11-2012 के बजाया 6-11-2012 कायम कर इसी दिनांक को बतौर साजशी दावा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये डिक्री कर दिया । जबकि इन्हीं पक्षकारों को इसी आराजी से सम्बन्धित दावा विचाराधीन रहे हैं उनमें कोई कार्यवाही न कर इस दावे का निर्णय करने में कानूनी भूल की है ।रेस्पोडेन्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है । रेस्पोडेन्ट के पूर्वज ने इस आराजी पर हमारा कब्जा स्वीकार किया है जिसके अंगूठा निशानी है।

रेस्पोडेन्ट अपने पूर्वज के कथनों से स्टोप्ड है अपने पूर्वजों द्वारा किये गये कथनों के विपरित रेस्पोडेन्ट कुछ भी नहीं कह सकते । अदालत मातहत ने बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के मौखिक साक्ष्य के आधार पर रेस्पोडेन्ट/वादीगण का कब्जा मानकर वादीगण का दावा डिक्री करने में कानूनी भूल की है । जबकि वादीगण ने जो रेकार्ड पेश किया है उससे खातेदारी भी अपीलान्ट की साबित है तथा कब्ज कब्जा काश्त भी अपीलान्ट का ही साबित है ।इन सभी तथ्यों को नजर अन्दाज कर अपना निर्णय पारित किया है जो विधि एवं तथ्यों के विपरित है । अपील में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा तीनों दावों की सुनवाई एक साथ होने से तीनों दावों में एक ही पेशी बताये जाने के कारण अपीलांट को इस दोव के निर्णय की जानकारी नहीं रही जानकारी होने पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है ।अपील अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया है । कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये कायम मु0 स्वीकार किया गया । कायम मुकाम स्वीकार होने पर संशोधित शीर्षक आया है ।दिनांक 11-10-2012 को प्रतिवादीगण न्यायालय में बार बार आवाज दिलाये जाने पर भी हाजिर नहीं आये । प्रतिवादीगण हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक्स पार्टी आदेश किया जाकर पत्रावली का दिनांक 6-11-2012 की पेशी में नियत रखा है । दिनांक 6-11-12 को वादीगण को सुनकर आदेश पारित किया है । विवादित आराजी पर हमारा बुर्जगों के समय से कब्जा होने पर उक्त आराजी की खातेदारी हमारे नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है । अपीलान्ट का इस आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है ।अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक दिया है ।अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी शुरू से रही है । अपील मियाद बाहर है । खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । खसरा बन्दोबस्त में ख0नं0 1752, 1753 व 1754 की खातेदारी उगमसिंह पुत्र लालसिंह कौम राजपूत के नाम दर्ज है। उगमसिंह ने अपने अंगूठा निशानी कर उक्त आराजी को श्योपालदास राधेश्यामदास पुत्र ईश्वरदास कौम स्वामी के नाम दर्ज किये जाने में कोई ऐतराज नहीं किया। जिसके आधार पर सैटलमेन्ट अधिकारी ने उक्त आराजी को श्योपालदास, राधेश्यामदास के नाम की है। जिसका रेकार्ड दर्ज है । जमाबन्दी सं0–2068 से 2071 में विवादित आराजी की खातेदारी अपीलान्टस् के नाम दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 1141 से हाल ख0नं0 1752, 1753, 1754 बने हैं । पर्चा नोटिस श्योपाल दास राधेश्यामदास के नाम दर्ज है । दावा सं0–328/1999 भींवाराम बनाम जयसिंह में भी विवादित आराजी समान है। दोनों दावो में लगभग तारीख पेशी समान है । दिनांक 6–11–2012 में तारीख में ओवर राईटिंग की गई है । तथा प्रस्तुत दावे में संशोधित दावा पेश किये जाने के आदेश आदेशिका में कहीं भी दर्ज नहीं है तथा प्रतिवादी सं0–1 श्योपालदास के वारिसान को प्रस्तुत प्रकरण में न तो नोटिस दिया न ही किसी प्रकार की सुनवाई का कोई अवसर दिया गया । संशोधित शीर्षक कौनसी तारीख को दिया गया कहीं तारीख पेशी दर्ज नहीं है । तथा ना ही न्यायालय द्वारा मार्क किया गया है और ना ही दावे की आदेशिका मे संशोधित शीर्षक पेश किया जाना दर्ज है ।अर्थात अपीलान्ट को प्रस्तुत प्रकरण मे किसी प्रकार से सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया तथा ना ही विधिक प्रक्रिया को अपनाया गया है । अदालत मातहत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की कोई पालना नहीं की जिससे अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को समय पर न होकर दिनांक 30–12–2013 को जानकारी हुई है। जिससे अपीलान्ट की अपील जानकारी से अन्दर मियाद शुमार की जाती है । तथा राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी की खातेदारी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0–15 के नाम दर्ज है। अदालत मातहत

ने प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर दावा डिक्री किया है किन्तु प्रस्तुत दस्तावेज कौनसा है जिससे वादीगण का दावा साबित है दर्ज नहीं किया है । अदालत मातहत ने न तो प्रस्तुत रेकार्ड का विवेचन किया है और ना ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया है । ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के आदेश को यथावत रखा जाना उचित एवं विधिक नहीं मानते है ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खंण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6-11-2012 खारिज किया जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 19.4.2018 को सुनाया गया ।

19/4/18

(भंवरलाल मेघवाल)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

डिक्री वर्सिंग अपील
(आर्डर 41 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर।

इजलास - श्री भंवरलाल मेहरड़ा आर0ए0एस0

1- सुन्दरी बेवा गोपालदास जाति स्वामी निवासीगण काली खेडा तन गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।आदि

--अपीलान्टस्---

--बनाम---

1- सोहनकंवर बेवा उगमसिंह जाति राजपूत निवासी हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर आदि

--रेस्पोडेन्टस्--

अपील नम्बर 5/2014 सन्   बनाराजगी डिक्री अदालत उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

मुकाम -   दिनांक 6 माह 11 सन् 2012

-दावा बाबत -

यह अपील व तारीख 19-4-18 हब्स हमारे व हाजिर श्री रामेश्वरलाल बिजारणीया मिनजानिब अपीलान्टस् व हाजिर श्री अमीलाल मिनजानिब रेस्पोडेन्टस् समाहत के लिये हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6-11-12 खारिज किया जाता है ।

खर्चा फरीकैन हस्ब तकसीत वादाबी युबलिग ......xxx...... रूपये अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ......xxx...... रूपया अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख 19-4-18 को जारी की गई।

दस्तखत -
ओहदा भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपीलार्थीगण	रूपये पैसे	गैर अपीलार्थीगण	रूपये पैसे
1- स्टाम्प अपील		1- स्टाम्प वकालतनामा	
2- स्टाम्प वकालतनामा		2- स्टाम्प अर्जी	
3- इजराय हुक्मनामा		3- इजराय हुक्मनामा	
4- तलबाना मुतफुरकात		4- मुतफुरकात	
5- मिजान		5- मिजान	